	सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी बनाम हितेन्द्र गर्ग सप्लाई विविध प्रकरण सं0 93/2008	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.02.17	पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह उपस्थित। वकील अप्रार्थी ने बहस में बतलाया कि उसकी ओर से लिखित बहस प्रस्तुत की जा चुकी है। संक्षित में प्रार्थना–पत्र प्रार्थना–पत्र वाक्यात इस प्रकार है कि दिनांक 02.09.2008 को उमस के कार्यकर्ता एवं अन्य लोगों द्वारा सूर्यनगरी गैस एजेन्सी के लोगों द्वारा कम गैस देने की सूचना जिला रसद अधिकारी जोधपुर को करने पर उनके निर्देशानुसार प्रवर्तन स्टाफ महेन्द्रमल भण्डारी व अन्य द्वारा अप्रार्थी फर्म सूर्यनगरी गैस द्वारा वजन से कम गैस उपभोक्ताओं को सप्लाई करने की जांच के लिए मौके पर पहुंचे। जांच के दौरान 24 गैस सिलेण्डर तुलवाये गये जिनकी तलपट्टी रूबरू फर्म मालिक व मौतबिरान बनाई गई। उक्त गैस सिलेण्डर उपभोक्ताओं को सप्लाई के लिए चौपासनी हाउसिंग बोर्ड सिन्धु पैलेस पर वितरण की जा रही थी तथा होम डिलवरी नहीं करने पर रिबेट प्रति सिलेण्डर 8/–रूपये कम नहीं कर गैस एजेन्सी द्वारा प्रति सिलेण्डर कीमत 352 रू. ली गई, 07 सिलेण्डर अवधि पार भी पाये गये इस प्रकार अप्रार्थी फर्म सूर्यनगरी गैस मालिक हितेन्द्र गर्ग पुत्र मुन्नीलाल गर्ग का कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस(वितरण व प्रदाय नियंत्रण) आदेश, 2000 के खण्ड 5(सेड्यूल iii), 9(बी) व 1(10) व 11 तथा राजस्थान पेट्रोलियम प्रोडेक्ट (लाइसेंसिंग एण्ड कन्ट्रोल) ऑर्डर, 1990 की शर्त सं. 11(iii) की अवलेहना होने से धारा 3/7, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत दण्डनीय अपराध भी माना है जिस कारण मौके से उक्त 24 घरेलू गैस सिलेण्डर जब्त किये गये तथा धारा 6ए, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष की ओर दिनांक 25.02.09 को जबाब पेश हुआ तथा दिनांक 17.01.2017 को लिखित बहस पेश की। लिखित बहस में बतलाया कि दिनांक 02.09.08 को एजेन्सी सूर्यनगरी इण्डेन द्वारा चालान सं. 627405943 के द्वारा ट्रक दिनांक 31.08.2008 को अजमेर से रवाना होकर दिनांक 01.09.08 को 11.00 एम जोधपुर स्थित सूर्यनगरी इण्डेन के गोदाम पर पहुंचा चूंकि ट्रक देरी से आने के कारण ट्रक से उतारे गए सिलेण्डर्स सीधे ट्रेक्टर एवं टेक्सी के द्वारा एजेन्सी कर्मचारी भवानीसिंह के साथ चौपासनी हाउसिंग बोर्ड वितरण स्थल पर भेजे गये तथा सिंधु महल स्थित स्थान पर ही सिलेण्डरों की प्री.डिलीवरी चैकिग करके वितरण किया जा रहा था, जहां वाहन में करीब 150 सिलेण्डर भेजे गये थे एवं दौराने वितरण कुछ सिलेण्डर के वाल्व लीक (वी.डी.) होने के कारण सिलेण्डरों को पुनः टेक्टर में रखा हुआ था जिन्हें न तो बेचा गया ना ही सप्लाई किया गया । बहस में आगे बतलाया लगातार..	

जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

कि इसी दौरान रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक ने उक्त सिलेण्डरों को जब्त कर लिये जबकि उक्त 24 गैस सिलेण्डर कम गैस के थे जो वापस गोदाम भेजे जाने हेतु टेक्टर में ही रखे हुए थ। बहस में यह भी कहा कि उक्त वितरण स्थल मूल रूप से महावीर गैस एजेन्सी का था जिसका लाईसेंस कुछ माह तक निरस्त होने से माल की सप्लाई अप्रार्थी एजेन्सी को दी गई थी। जबाब में यह भी कहा कि वितरण स्थल से बाहर के चौंखा बोरानाडा आदि से जाने वाले ग्राहकों को 8/–रूपये की छूट सिलेण्डर पर दी जाती थी, यह भी कहा कि ग्राहक यदि गोदाम से सिलेण्डर ले जाते है उन्हें 8/–रूपये की केस एण्ड केरी दी जाती है। बहस में यह भी कहा कि एक ही समय दो एजेन्सी का माल सप्लाई किया जाता था इस कारण माल ट्रक से उतारने से पूर्व गोदाम में चैक नहीं करके डिलीवरी पोईन्ट पर ही चैक किया जाता तथा लिकेज व कम गैस सिलेण्डरो को वापिस गोदाम में प्लांट में भेजा जाता था।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विभागीय कार्यवाही में फर्द निरीक्षण रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि दिनांक 02.09.08 को सिन्धु महल, सेक्टर 10 चौ.हा.बोर्ड के सामने गार्डन के पास अप्रार्थी एजेन्सी सूर्यनगरी द्वारा लोगों को बिना वजन सिलसेण्डर देने, वजन में कम गैस होने पर भी सप्लाई करने की शिकायत व्यक्तियों द्वारा जिला रसद अधिकारी जोधपुर को टेलीफोन पर करने पर प्रवर्तन स्टॉफ मौके पर पहुंचकर मौके पर भरे हुए सिलेण्डरों को तुलवाया गया तो निर्धारित मात्रा से 24 सिलेण्डरों में कम गैस पाई गई जिस पर जब्ती की गई। चूंकि उक्त सिलेण्डरों की बाद तुलवाई तलपटी तैयार की गई उसके अनुसार इन सभी सिलेण्डरों में गैस निर्धारित मात्रा से कम पाई गई। गैस सिलेण्डर गोदाम में आने के बाद गेट पास जारी कर उपभोक्ताओं को सप्लाई करने के लिए वाहन रवाना किया जाता है अतः गैस निर्धारित मात्रा में है या नहीं, यह वितरण करने वाली एजेन्सी की होती है अतः अप्रार्थीपक्ष द्वारा दिये गये जबाब से हम संतुष्ट नहीं है अतः विभागीय कार्यवाही से सहमत है कि अप्रार्थी का कृत्य द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण व प्रदाय नियंत्रण) आदेश 2000 के उपाबन्ध 5((सेडूय iii) 9 (बी) व सेडूयल 1(10) एवं निर्धारित मात्रा से गैस होने के उपरान्त भी 352/–रूपये लिये जाने से राज. पेट्रोलियम प्रोडेक्ट(लाईसेंसिंग एण्ड कंट्रोल) आदेश, 1990 की शर्तो की अवहेलना है अतः जब्तसुदा 24 गैस सिलेण्डर मय गैस को राज्यसात् किये जाने का आदेश दिया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त राज्यसात् किये गये सिलेण्डर मय गैस संबंधित गैस कम्पनी में जमा करावे तथा उनसे प्राप्त राशि कोष में जमा कराई जावे। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, प्रथम जोधपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर जोधपुर

न्यायालय जिला कलक्टर, जोधपुर
क्रमांक/कोर्ट/17415 दिनांक 10/3/12
प्रतिलिपि मय संबंधित अभिलेख सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
को प्रेषित है।
रीडर
कलक्टर, जोधपुर
न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)